NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 08-11-2025

विषय सूची

» सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति सौदों पर औपनिवेशिक युग के कानूनों में सुधार का समर्थन किया
» सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाने का आदेश
» राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
» राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस
» GST संग्रह और राज्यों का प्रदर्शन

संक्षिप्त समाचार

» वंदे मातरम के 150 वर्ष
» ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क (BICAN)
» क्रिसमस द्वीप
» क्वांटम गुरुत्वाकर्षण
» चीन का विमानवाहक पोत फुज़ियान
» HAL द्वारा GE एयरोस्पेस के साथ 1 अरब डॉलर का समझौता
» रिसस मकाक (Rhesus Macaque)

सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति सौदों पर औपनिवेशिक युग के कानूनों में सुधार का समर्थन किया

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को संपत्ति लेन-देन से संबंधित सौ वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

परिचय

- औपनिवेशिक युग के संपत्ति कानूनों में प्रणालीगत खामियों को उजागर करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के पुनर्गठन की संभावना की जांच करने को कहा।
  - ब्लॉकचेन तकनीक सभी संपत्ति लेन-देन के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय डिजिटल लेज़र बनाती है।
  - यह पंजीकरण प्रक्रिया को छेड़छाड़-रोधी बनाती है और स्वामित्व इतिहास का एकल, सत्यापन योग्य स्रोत प्रदान करती है।

वर्तमान संपत्ति लेन-देन कानूनों से जुड़ी चिंताएँ

- **पुराने कानून:** ये कानून औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए बनाए गए थे और आज की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं हैं।
  - इनमें *संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882*, *पंजीकरण अधिनियम, 1908* और *स्टाम्प अधिनियम, 1899* शामिल हैं।
- **प्रशासनिक बाधाएँ:** स्वामित्व, हस्तांतरण, किरायेदारी और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में देरी, विवाद एवं मुकदमेबाजी होती है।
  - संपत्ति खरीदना-बेचना कठिन अनुभव बन गया है; देश में 66% दीवानी मुकदमे संपत्ति विवादों से संबंधित हैं।
- **एकरूपता का अभाव:** भूमि संविधान के अंतर्गत "राज्य विषय" है, इसलिए पंजीकरण प्रक्रियाएँ राज्य-दर-राज्य भिन्न होती हैं।
- **अधूरी डिजिटलीकरण:** *डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)* और *राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS)* जैसे प्रयासों ने भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया है, लेकिन डेटा त्रुटिपूर्ण है तथा शीर्षक विवाद बने हुए हैं।
- **अंतर-विभागीय एकीकरण का अभाव:** भूमि अभिलेख डेटा, सर्वेक्षण मानचित्र और पंजीकरण अभिलेख राजस्व, सर्वेक्षण और पंजीकरण विभागों में बिखरे हुए हैं, जिससे असंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन

- संपत्ति अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संरक्षित है।
- अचल संपत्ति का स्वामित्व रखने का संवैधानिक अधिकार स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रूप से अधिग्रहण, धारण और इच्छानुसार निपटान की स्वतंत्रता को शामिल करता है।
- कोर्ट ने व्यक्तिगत अधिकारों, सार्वजनिक उद्देश्य और कुशल भूमि प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने वाले एक आधुनिक संपत्ति ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया।
- विधि आयोग को समीक्षा करने, हितधारकों से परामर्श करने और एकरूपता व स्पष्टता लाने के लिए विधायी सुधारों की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया।

महत्व

- भारतीय कानूनी ढाँचे को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करने एवं संपत्ति कानून को नागरिक-हितैषी, पारदर्शी और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा।
- भूमि अधिग्रहण, पंजीकरण, किरायेदारी और शहरी नियोजन कानूनों में सुधार को प्रभावित कर सकता है।
- यह कदम अनुच्छेद 300A के व्यापक संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप है और संपत्ति शासन को पारदर्शी, कुशल एवं न्यायसंगत बनाने का लक्ष्य रखता है।

संपत्ति का अधिकार

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** प्रारंभ में यह अनुच्छेद 19(1)(f) के अंतर्गत मौलिक अधिकार था: संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार।
  - **अनुच्छेद 31:** संपत्ति से वंचित होने से सुरक्षा, केवल कानून के अधिकार और मुआवज़े के भुगतान पर।
  - इसका उद्देश्य नागरिकों को मनमाने राज्य कार्रवाई से बचाना था, साथ ही भूमि सुधारों के माध्यम से समान पुनर्वितरण की अनुमति देना।
- **44वाँ संविधान संशोधन (1978):** अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटाकर अनुच्छेद 300A जोड़ा गया।
  - संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा; यह संवैधानिक/कानूनी अधिकार बन गया।
  - अब संपत्ति अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में लागू नहीं किए जा सकते।

ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में

- यह एक *वितरित लेज़र तकनीक (DLT)* है, जिसमें एन्क्रिप्टेड डेटा ब्लॉक्स स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं और कई कंप्यूटरों पर संग्रहीत होते हैं।
- प्रत्येक लेन-देन एक ब्लॉक में दर्ज होता है; ब्लॉक्स कालानुक्रमिक रूप से जुड़े होते हैं और क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से सुरक्षित होते हैं।
- वैश्विक उदाहरण: स्वीडन, जॉर्जिया और घाना ने ब्लॉकचेन-आधारित भूमि रजिस्ट्रियों का परीक्षण किया है, जिससे दक्षता बढ़ी है, धोखाधड़ी कम हुई है तथा नागरिकों का विश्वास बढ़ा है।

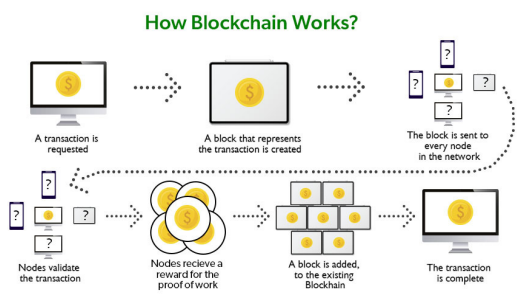

Source: TH

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाने का आदेश

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देशभर में प्रमुख सार्वजनिक और संस्थागत क्षेत्रों से स्ट्रे डॉग्स/आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने के निर्देश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि बार-बार होने वाली कुत्ते के काटने की घटनाएँ "सिर्फ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) के अंतर्गत मानव सुरक्षा का मामला हैं।"

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश

- **नॉन-रिलीज क्लॉज़:** ऐसे स्थानों से हटाए गए कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जा सकता।
- **जवाबदेही:** सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और NHAI के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
  - अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए त्रैमासिक निरीक्षण करें।
- **नगरपालिका जवाबदेही:** स्थानीय निकायों को 8 सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- **वैक्सीन भंडारण:** सभी अस्पतालों में पर्याप्त एंटी-रेबीज़ वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए।
- **NHAI निर्देश:** राजमार्गों से मवेशियों और आवारा जानवरों को हटाएँ; 24x7 राजमार्ग गश्त और हेल्पलाइन स्थापित करें।
- **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI):** पूरे भारत में स्ट्रे डॉग्स के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) तैयार करें।

भारत में आवारा कुत्तों की समस्या

- भारत में अनुमानित 60–70 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या में से एक है।
- भारत वैश्विक रेबीज़ मृत्युओं का एक-तिहाई हिस्सा है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 20,000 से अधिक मृत्युएँ होती हैं।

2023 में 17 लाख से अधिक कुत्ते के काटने के मामले दर्ज किए गए (स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार)।

- स्थानीय निकायों के पास अक्सर ABC (Animal Birth Control) लागू करने के लिए धन, आश्रय और समन्वय की कमी होती है।

नैतिक आयाम

- **मूल्यों का टकराव:** जानवरों के प्रति करुणा बनाम मानव जीवन की सुरक्षा।
- **नैतिक समाधान:** मानवीय पुनर्वास और नसबंदी दोनों पक्षों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है — क्रूरता रोकते हुए सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

- **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार):** जीवन का अधिकार सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल करता है — सार्वजनिक स्थानों में टाले जा सकने वाले खतरों से मुक्ति तक विस्तारित।
- **अनुच्छेद 48A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा वन्यजीवों की सुरक्षा करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g):** प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाए।
- **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960:** पशु कल्याण और क्रूरता निवारण के लिए मूल कानून।
- **पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023:** नसबंदी, टीकाकरण और स्ट्रे डॉग्स के मानवीय प्रबंधन को अनिवार्य करता है।
- **नगरपालिका अधिनियम/स्थानीय निकाय कानून:** आवारा प्रबंधन और अपशिष्ट नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपते हैं।

आगे का रास्ता

- **बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता दें:** आदेश की दीर्घकालिक सफलता मानवीय आश्रयों (पाउंड/केनेल) के तीव्रता से निर्माण और वित्तपोषण पर निर्भर करती है।
- **ABC कार्यान्वयन को मजबूत करें:** ध्यान WHO द्वारा निर्धारित 70% नसबंदी कवरेज हासिल करने पर होना चाहिए ताकि कुल कुत्तों की जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सके।
- **अंतर-विभागीय समन्वय:** प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "वन हेल्थ" दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें पशुपालन, शहरी विकास, स्वास्थ्य और परिवहन विभागों के बीच समन्वय हो।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय निकायों को NGOs, निवासी कल्याण संघों (RWAs) और सामुदायिक फीडरों के साथ मिलकर निर्दिष्ट फीडिंग ज़ोन (ABC नियम, 2023 के नियम 20 के अनुसार) चिन्हित करने चाहिए ताकि अन्य क्षेत्रों में स्ट्रे डॉग्स का प्रबंधन किया जा सके।

Source: TH

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

संदर्भ

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है, जो ज़रूरतमंद नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

- **प्रारंभ:** 15 अगस्त 1995 को।
- यह पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **कार्यान्वयन:** ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा।
- यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित होता है।
- **पेंशन शामिल:** NSAP में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, पारिवारिक लाभ और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।

NSAP की पाँच उप-योजनाएँ

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS):**
  - 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता।

- 60 से 79 वर्ष के बीच वालों को ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक वालों को ₹500 प्रति माह।

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS):**
  - 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को ₹300 प्रति माह।
  - 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों को ₹500 प्रति माह।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS):**
  - 18 से 79 वर्ष के गंभीर या बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं।
  - लाभार्थियों को ₹300 प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक वालों को ₹500 प्रति माह।
- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS):**
  - गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला परिवार, यदि उसका मुख्य आय अर्जक (18 से 59 वर्ष आयु) असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो पात्र होता है।
  - परिवार को ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे तत्काल आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर सकें।
- **अन्नपूर्णा योजना:**
  - उन वरिष्ठ नागरिकों को, जो IGNOAPS के अंतर्गत पात्र हैं लेकिन वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे, उन्हें प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

कार्यान्वयन

- **चयन:** ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएँ विभिन्न NSAP योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।
- **वितरण:** लाभ DBT मोड (94%) अर्थात् लाभार्थी के बैंक या डाकघर बचत खाते, या डाक मनी ऑर्डर के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
- **निगरानी:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी राज्य सरकार विभाग के माध्यम से योजनाओं को लागू करने की लचीलापन है, लेकिन प्रत्येक को राज्य स्तर पर एक नोडल सचिव नियुक्त करना आवश्यक है जो कार्यान्वयन की देखरेख करे और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करे।

प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थी:

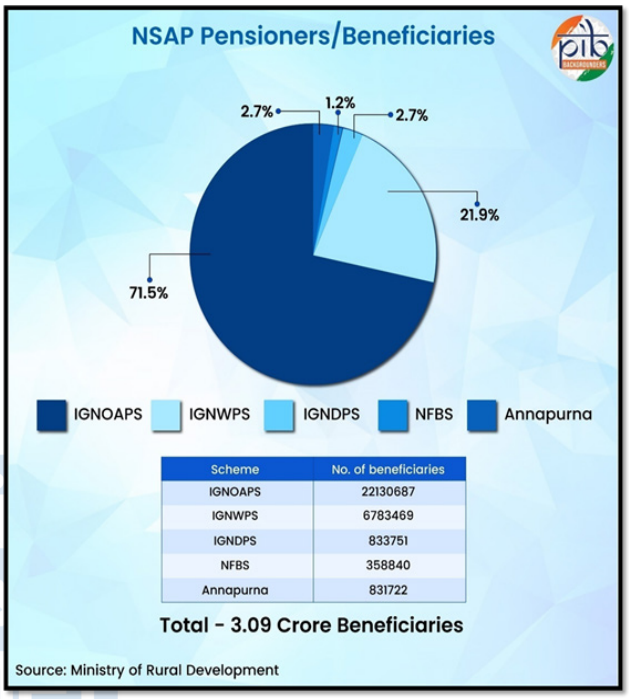

निष्कर्ष

- आधार-आधारित प्रमाणीकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को बढ़ावा देकर, NSAP ने पारदर्शिता में सुधार किया है, धोखाधड़ी को कम किया है तथा लाखों लाभार्थियों तक कल्याण की डिलीवरी को सुदृढ़ किया है।
- सामूहिक रूप से, ये उपाय महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करते हैं और पूरे देश में एक अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षा जाल में योगदान करते हैं।

Source: PIB

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

संदर्भ

- प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को *राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस* मनाया जाता है, ताकि *विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987* को स्मरण किया जा सके, जिसने

ज़रूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

परिचय

- भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की नींव पर निर्मित है।
- भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और कानून के अंतर्गत समान संरक्षण की गारंटी देता है। इनमें शामिल हैं:
  - **अनुच्छेद 14:** विधि के समक्ष समानता
  - **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
  - **अनुच्छेद 22:** कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण
  - **अनुच्छेद 39A:** समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

- यह 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ और समाज के हाशिए पर रहने वाले तथा वंचित वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ढाँचे की स्थापना की।
- इस अधिनियम ने *लोक अदालतों* और *स्थायी लोक अदालतों* की स्थापना की, जो विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए मंच हैं, जिनमें पूर्व-विवाद (pre-litigation) मामले भी शामिल हैं।
- **विधिक सेवा प्राधिकरणों की त्रि-स्तरीय संरचना:**
  - **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):** भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं; केंद्रीय निधि और दान से वित्तपोषित।
  - **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSAs):** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं; केंद्र और राज्य सरकार से वित्तपोषित।
  - **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSAs):** जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं; राज्य सरकार और दान से वित्तपोषित।
- **निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना:** पात्र व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं:
  - विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों में लिखित या मौखिक आवेदन द्वारा।
  - NALSA, राज्य या जिला पोर्टल्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन द्वारा।
- आवेदन शीघ्रता से निपटाए जाते हैं, और *NALSA (निःशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएँ) विनियम, 2010* के विनियम 7(2) के अनुसार, निर्णय सात दिनों के अंदर लिया जाना चाहिए।
- 2022–23 से 2024–25 तक, 44.22 लाख से अधिक लोगों ने निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श का लाभ उठाया।

NALSA और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका

- NALSA और SLSAs महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:
  - विवादों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन।
  - दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में कानूनी सहायता क्लीनिक चलाना।
  - नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करना।
  - पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं और मध्यस्थता सेवाओं का समर्थन करना।

समग्र न्याय के लिए नवाचार पहल

- **DISHA फ्रेमवर्क:**
  - **टेली-लॉ और न्याय बंधु:** ये डिजिटल पहल नागरिकों, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में, को तकनीक के माध्यम से कानूनी सलाहकारों से जोड़ती हैं।
  - **विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP):** यह 22 अनुसूचित भाषाओं में संचार सामग्री के माध्यम से कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देता है, जिसमें राज्य एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी होती है।

- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट (FTCs):** महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए स्थापित।
- **फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय(FTSCs):** गंभीर यौन अपराधों, विशेषकर *POCSO अधिनियम* के अंतर्गतमामलों पर केंद्रित।
- **ग्राम न्यायालय:** ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए गाँव स्तर के न्यायालय।
- **नारी अदालतें:** *मिशन शक्ति* योजना के अंतर्गत पहल, जो लैंगिक हिंसा का समाधान मध्यस्थता और मेल-मिलाप के माध्यम से करती हैं।
  - 7–9 महिलाओं से बनी ये न्यायालय महिलाओं को अपने अधिकार व्यक्त करने और कानूनी सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।
- **हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए विशेष अदालतें:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा हेतु *SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989* के अंतगर्त 211 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

भारत में कानूनी सेवाओं तक पहुँच की चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **जागरूकता की कमी:** कई पात्र नागरिक *विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987* के अंतगर्त निःशुल्क कानूनी सहायता के अपने अधिकार से अनभिज्ञ हैं।
  - ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विधिक साक्षरता कम है।
- **भौगोलिक असमानताएँ:** कानूनी सहायता सेवाएँ शहरी केंद्रों में केंद्रित हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं।
  - मोबाइल कानूनी सहायता क्लीनिक और आउटरीच वैन उपस्थित हैं, लेकिन माँग पूरी करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- **गुणवत्ता और जवाबदेही:** कानूनी सहायता वकीलों पर प्रायः प्रतिबद्धता की कमी, कमजोर तैयारी और अपर्याप्त फॉलो-अप का आरोप लगता है।
- कानूनी सहायता प्रदाताओं की निगरानी या प्रदर्शन मूल्यांकन सीमित है।
- **अतिभारित न्यायपालिका:** भारत के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है, जिससे देरी और समय पर न्याय से वंचित होना सामान्य है।
  - कानूनी सहायता लाभार्थियों को अक्सर लंबी प्रतीक्षा और प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **डिजिटल विभाजन:** ई-कोर्ट और ऑनलाइन कानूनी सेवाएँ बढ़ रही हैं, लेकिन कई नागरिकों के पास इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता का अभाव है।
  - इसका प्रभाव महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण जनसंख्या पर अधिक पड़ता है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:** दलितों, आदिवासियों और महिलाओं जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को कानूनी सहायता मांगते समय प्रायः भेदभाव या भय का सामना करना पड़ता है।
  - भाषा की बाधाएँ और अधिकार का भय कानूनी प्रणाली से जुड़ने में और हतोत्साहित करते हैं।

आगे की राह

- विद्यालय पाठ्यक्रम और सामुदायिक पहुँच के माध्यम से विधिक साक्षरता को सुदृढ़ करना।
- कानूनी सहायता वकीलों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन में सुधार करना।
- ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना।
- पारदर्शी निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- समावेशी तकनीकी समाधान और ऑफलाइन समर्थन के साथ डिजिटल विभाजन का समापन।

Source: PIB

GST संग्रह और राज्यों का प्रदर्शन

समाचार में

- अक्टूबर 2025 में भारत का GST संग्रह ₹1.95 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 4.6%

की वृद्धि है। इसमें आंशिक रूप से दिवाली से जुड़ी व्यय वृद्धि का योगदान रहा।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- GST भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे 2017 में लागू किया गया।
- यह वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर आधारित गंतव्य-आधारित कर है।
- इसे उत्पादन और वितरण के हर चरण पर लगाया जाता है, लेकिन कर केवल प्रत्येक चरण में जोड़ी गई मूल्य पर ही लिया जाता है, तथा पहले दिए गए करों के लिए क्रेडिट उपलब्ध होता है।
- अंततः अंतिम उपभोक्ता कर वहन करता है, और राजस्व उस प्राधिकरण को जाता है जहाँ वस्तुएँ या सेवाएँ उपभोग की जाती हैं (आपूर्ति का स्थान)।

लाभ

- GST का परिचय भारत में एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कर सुधार है, जिसने कई केंद्रीय और राज्य करों को एकल प्रणाली में एकीकृत किया, करों के दोहराव को कम किया एवं एक सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार को बढ़ावा दिया।
- यह वस्तुओं पर कुल कर भार को कम करता है, भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को घरेलू और वैश्विक स्तर पर बढ़ाता है।
- इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है और व्यापक कर आधार, अधिक व्यापार मात्रा तथा बेहतर अनुपालन के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए राजस्व में वृद्धि हो सकती है।
- इसकी पारदर्शिता प्रशासन को भी सरल बनाती है।

समस्याएँ

- **राजस्व की कमी:** PRS विधायी अनुसंधान के अनुसार, GST राजस्व पूर्व-GST स्तरों से नीचे बना हुआ है, GST-से-GDP अनुपात 2015–16 में 6.5% से घटकर 2023–24 में 5.5% हो गया।
- **राज्य-स्तरीय असमानताएँ:** औद्योगिक और सेवा-प्रधान राज्य—महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु एवं हरियाणा—कुल राजस्व का 40% से अधिक हिस्सा रखते हैं।
  - हालाँकि, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GST प्राप्तियों में गिरावट देखी गई।
  - अधिकांश राज्यों में गिरावट आई, लेकिन पाँच पूर्वोत्तर राज्यों—मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर—ने अपने कर-से-GSDP अनुपात में सुधार किया, जबकि पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।
- **जटिल दर संरचना:** स्लैब तर्कसंगत बनाने के बावजूद, वर्गीकरण विवाद और कुछ वस्तुओं पर उच्च दरें बनी हुई हैं।
- **मुआवज़ा समाप्ति के बाद की चुनौतियाँ:** GST मुआवज़ा समाप्त होने से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को लेकर चिंताएँ फिर से उभर आई हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- GST भारत के आर्थिक सुधार का एक बुनियादी स्तंभ बना हुआ है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। इसमें शामिल है:
  - दर तर्कसंगतता और कम छूटों के माध्यम से कर संरचना को सरल बनाना।
  - बेहतर SGST तंत्र और न्यायसंगत साझेदारी के माध्यम से राज्य राजस्व को सुदृढ़ करना।
  - डिजिटल और AI-आधारित अनुपालन उपकरणों के माध्यम से प्रवर्तन को सुदृढ़ करना।
  - प्रभावी निर्णय-निर्माण और विवाद समाधान के लिए GST परिषद की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना।

Source :IE

संक्षिप्त समाचार

समाचार में

- भारत अपने राष्ट्रीय गीत *वंदे मातरम्* की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो एकता, बलिदान और देशभक्ति का शक्तिशाली प्रतीक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- *वंदे मातरम्* की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और इसे प्रथम बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका *बंगदर्शन* में प्रकाशित किया गया।
- बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को अपने अमर उपन्यास *आनंदमठ* (1882) में शामिल किया।
- इसे प्रथम बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गाया।
- 1905 के स्वदेशी और विभाजन-विरोधी आंदोलनों के दौरान यह अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। कोलकाता में *बंदे मातरम् संप्रदाय* और बरिसाल में विशाल जुलूस जैसे प्रयासों ने इसे जन-आंदोलन का स्वरूप दिया।
- 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट, बर्लिन में प्रथम बार भारत के बाहर तिरंगा झंडा फहराया। उस झंडे पर *वंदे मातरम्* शब्द अंकित थे।

राष्ट्रीय दर्जा

- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय घोषित किया कि रवीन्द्रनाथ टैगोर का *जन गण मन* भारत का राष्ट्रीय गान होगा और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का *वंदे मातरम्* राष्ट्रीय गीत होगा। दोनों को समान दर्जा प्रदान किया गया।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (1838–1894)

- *वंदे मातरम्* के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्नीसवीं सदी के बंगाल के सबसे प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक थे।
- उन्होंने उन्नीसवीं सदी के बंगाल के बौद्धिक और साहित्यिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार, कवि और निबंधकार के रूप में उनकी रचनाओं ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास एवं उभरते भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया।
- उनकी प्रमुख कृतियाँ—*आनंदमठ* (1882), *दुर्गेशनंदिनी* (1865), *कपालकुंडला* (1866), और *देवी चौधुरानी* (1884)—एक उपनिवेशित समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चिंताओं को दर्शाती हैं, जो अपनी आत्म-परिचय की खोज में था।

Source :PIB

ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क (BICAN)

समाचार में

- अमेरिकी NIH की *ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क (BICAN)* के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिकों ने मानव विकास का मानचित्रण करने वाले व्यापक एटलस का प्रथम प्रारूप तैयार किया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- उन्नत *सिंगल-सेल सीक्वेंसिंग* और *स्पैटियल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स* तकनीकों का उपयोग करके मानव मस्तिष्क का बड़े पैमाने पर कोशिकीय एटलस तैयार किया गया।
- यह एटलस मस्तिष्क में विभिन्न आयु वर्गों—भ्रूण, शिशु, किशोर, वयस्क और वृद्ध—में कोशिका प्रकार, जीन अभिव्यक्ति पैटर्न एवं विकासात्मक मार्गों का चार्ट प्रस्तुत करता है।

लाभ

- इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि मस्तिष्क की कोशिकाएँ कैसे विकसित होती हैं, परिपक्व होती हैं और परस्पर क्रिया करती हैं।
- यह अल्ज़ाइमर, ऑटिज़्म और सिज़ोफ्रेनिया जैसी न्यूरोलॉजिकल एवं मनोरोग संबंधी बीमारियों की गहन समझ प्रदान करेगा।

BRAIN पहल के बारे में

- इसे 2013 में *अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH)* द्वारा शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली की समझ में क्रांति लाना है, प्रत्येक कोशिका और उसके संबंधों का मानचित्रण करके।

Source: TH

क्रिसमस द्वीप

समाचार में

- गूगल ने रक्षा विभाग के साथ क्लाउड समझौता करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर स्थित दूरस्थ क्षेत्र

क्रिसमस द्वीप पर एक बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्र बनाने की योजना बनाई है।

क्रिसमस द्वीप के बारे में

- **अवस्थिति:** क्रिसमस द्वीप हिंद महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक बाहरी क्षेत्र है। यह जावा (इंडोनेशिया) से लगभग 350 किमी दक्षिण में और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से लगभग 1,550 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** क्रिसमस द्वीप की खोज 25 दिसंबर 1643 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान विलियम माइनर्स ने की थी। इसी कारण इसका नाम *क्रिसमस द्वीप* पड़ा।
- **रणनीतिक महत्व:** यह सुंडा जलडमरूमध्य, लोम्बोक जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट स्थित है, जिससे यह *क्वाड सहयोग* एवं *इंडो-पैसिफिक समुद्री रणनीति* के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।

Source: TH

क्वांटम गुरुत्वाकर्षण

संदर्भ

- एक नए सैद्धांतिक अध्ययन से पता चलता है कि सूक्ष्म ब्लैक होल, जिन्हें *"ब्लैक होल मॉर्सल्स"* कहा जाता है, क्वांटम ग्रैविटी की जांच में सहायता कर सकते हैं।

परिचय

- **क्वांटम ग्रैविटी:** यह भौतिकी की दो सिद्धांतों को मिलाने का प्रयास है—क्वांटम यांत्रिकी, जो बताती है कि बहुत छोटे पैमानों पर भौतिकी कैसे कार्य करती है, और गुरुत्वाकर्षण (सामान्य सापेक्षता), जो बताती है कि बड़े पैमानों पर भौतिकी कैसे कार्य करती है।
  - क्वांटम ग्रैविटी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है—हम क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण को अलग-अलग समझा सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं।
- **हॉकिंग विकिरण:** जब ब्लैक होल के पास क्वांटम सिद्धांत लागू किया गया, तो भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने पाया कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं—यह पूरी तरह से क्वांटम-ग्रैविटी प्रभाव है।
  - यह उन कुछ ज्ञात संकेतों में से एक है कि क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण वास्तव में परस्पर क्रिया करते हैं।
- **ब्लैक होल मॉर्सल्स:**
  - ये एक सैद्धांतिक अवधारणा हैं—सूक्ष्म, अल्पकालिक ब्लैक होल, जो ब्लैक होल के विलय जैसी चरम ब्रह्मांडीय घटनाओं के दौरान बन सकते हैं।
  - इन्हें क्वांटम ग्रैविटी का अध्ययन करने के संभावित उपकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
  - ये मॉर्सल्स उच्च-ऊर्जा विकिरण (हॉकिंग विकिरण) के तीव्र, अल्पकालिक विस्फोट उत्सर्जित करेंगे, जिन्हें वर्तमान गामा-रे दूरबीनों द्वारा सिद्धांततः देखा जा सकता है।

महत्व

- यदि इसका पता लगाया जाता है, तो ऐसा विकिरण अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति के बारे में प्रत्यक्ष प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान करेगा।
- क्वांटम ग्रैविटी हमें ब्लैक होल के अंदर की भौतिकी और ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद के क्षणों को समझने में सहायता कर सकती है।

- यह क्वांटम उलझाव (Quantum Entanglement), संघनित पदार्थ भौतिकी (Condensed Matter Physics) और क्वांटम सूचना (Quantum Information) को समझने में भी सहायक हो सकती है।

Source: TH

चीन का विमानवाहक पोत फ़ुज़ियान

समाचार में

- चीन ने अपना प्रथम स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया विमानवाहक पोत *फुजियान* को सेवा में शामिल किया है।

विमानवाहक पोत फुजियान

- यह चीन का तीसरा विमानवाहक पोत है और प्रथम ऐसा पोत है जिसे स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम ताइवान के सामने स्थित प्रांत *फुजियान* के नाम पर रखा गया है।
- अपने रूसी-डिज़ाइन वाले पूर्ववर्तियों *लियाओनिंग* और *शानडोंग* के विपरीत, इसमें सपाट डेक और *इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स* लगे हैं, जो इसे अधिक भारी और उन्नत विमानों को लॉन्च करने में सक्षम बनाते हैं।
- समुद्री परीक्षणों में *J-35 स्टेल्थ फाइटर*, *KJ-600 अर्ली-वॉर्निंग एयरक्राफ्ट* और *J-15* के एक संस्करण को शामिल किया गया है, जो चीन की नौसैनिक विमानन क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नयन को दर्शाता है।

Source: TH

HAL द्वारा GE एयरोस्पेस के साथ 1 अरब डॉलर का समझौता

संदर्भ

- भारत ने अमेरिका की *जनरल इलेक्ट्रिक* कंपनी के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 113 जेट इंजन खरीदे जाएंगे। ये इंजन स्वदेशी *तेजस मार्क 1-ए* लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करेंगे, जो *तेजस हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम* का भाग हैं।

परिचय

- GE-F404 इंजन रक्षा सार्वजनिक उपक्रम *हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)* को 2027 से 2032 के बीच सौंपे जाएंगे।
- हालांकि, 2021 में ऑर्डर किए गए ऐसे 99 इंजनों की डिलीवरी अभी भी लंबित है।
- भारतीय वायुसेना (IAF) इन विमानों को शामिल करने की योजना बना रही है क्योंकि इसके लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या आधिकारिक रूप से स्वीकृत 42 से घटकर 31 रह गई है।
- *LCA Mk-1A* भारतीय वायुसेना के *MiG-21* लड़ाकू विमानों की जगह लेगा।

तेजस Mk-1A

- *लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस* एक 4.5 पीढ़ी का, प्रत्येक मौसम में कार्य करने वाला और बहु-भूमिका वाला लड़ाकू विमान है।
- यह विमान बहु-भूमिका निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और आसानी से आक्रामक वायु समर्थन, निकट युद्ध और ज़मीनी हमले की भूमिकाएँ निभा सकता है।
- *LCA Mk-1A* तेजस का सबसे उन्नत संस्करण है।
- इसमें निम्नलिखित अत्याधुनिक तकनीकें और प्रणालियाँ लगी हैं:
  - AESA रडार
  - EW सूट (रडार चेतावनी और आत्म-सुरक्षा जैमिंग सहित)
  - डिजिटल मैप जनरेटर (DMG)
  - स्मार्ट मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले (SMFD)
  - कंबाइंड इंटरोगेटर और ट्रांसपोंडर (CIT)
  - एडवांस्ड रेडियो अल्टीमीटर
  - और अन्य उन्नत विशेषताएँ।

Source: TH

रिसस मकाक (Rhesus Macaque)

समाचार में

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने *रिसस मकाक* (Rhesus Macaque) के लिए अनुसूची-II संरक्षण को पुनः पुनर्स्थापित कर दिया है, जिससे इसके शिकार, व्यापार और दुर्व्यवहार के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा मजबूत हुई है।

रिसस मकाक (Macaca mulatta)

- यह एक दिवाचर (दिन में सक्रिय), सर्वाहारी प्राइमेट है, जो पेड़ों पर रहने और भूमि पर चलने के बीच परिवर्तित करता है।
- यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में निवास करता है, जिनमें अलग-अलग प्रकार के वन, मैंग्रोव, झाड़ीदार क्षेत्र, वर्षावन और मानव बस्तियों के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।
- यह दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है — पूर्वी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन और भारत में।
- इसे कम से कम चिंता का विषय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।
  - यह CITES परिशिष्ट II में सूचीबद्ध है।

Source :IE

■■■■

NEXT IAS